

अनुमति की शर्तें।

- (i) पक्का भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वतंत्र सिद्ध नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का शिलालेख (पंचायत, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत राशियों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

एकल श्रेणी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 110 दिनांक 22/05/2019

प्राचीन रावेन्द्र प्रकाश सोनी 3/0 की रावेन्द्र सोनी

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राजी रखे 45664/- जमा

जारी रसीद संख्या 1021/6031, 6032

दिनांक 22/05/19 को जमा कम दी है।

प्रारूपकार

नगर निगम, जोधपुर

P.No: 16 अथवा गद एकीकृत केन्द्रीय
विभाग से 1 के धारने, एगल
पीए के पास

पीए
आवासीय

07/2021 = 3